राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 103/2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक – 25.06.2025

1. पप्पुड़ी पुत्री घासीराम जाति बावरी निवासी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. बीदामी पुत्री घासीराम जाति बावरी निवासी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. डुंगरराम पुत्र घासीराम जाति बावरी निवासी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगणों द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मुन्दड़ा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम मुन्दड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 108 के खसरा संख्या 248 तादादी 4.6660 है0, एवं खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 1339/859 तादादी 2.0358 है0, खसरा संख्या 976/862 तादादी 0.2529 है0 प्रार्थीगणों की अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी में (1/6 हिस्सा प्रत्येक) दर्ज स्थित है। प्रार्थीगणों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में क्रमशः पप्पड़ी, बिदामी, डुगर राम दर्ज है जबकि प्रार्थीगणों के वास्तविक नाम पप्पुड़ी, बीदामी, डुंगरराम है। प्रार्थीगणों के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थीगणों के सही नाम पप्पुड़ी, बीदामी, डुंगरराम अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण प्रार्थीगणों को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम दुरस्त करवाना प्रार्थीगणों के लिए आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रार्थीगणों का खेत रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के दस्तोवजों आधारकार्ड में नाम इनका सही नाम पप्पुड़ी, बीदामी, डुंगरराम अंकित है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने बाबत निवेदन किया। एवं तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थीगणों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पप्पड़ी, बिदामी, डुगर राम की बजाय पप्पुड़ी, बीदामी, डुंगरराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि में प्रार्थीगणों का नाम पप्पुड़ी, बीदामी, डुंगरराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगणों स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम मुन्दड़ा के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 108 के खसरा संख्या 248 तादादी 4.6660 है0, एवं खाता संख्या 109 के खसरा नम्बर 1339/859 तादादी 2.0358 है0, खसरा संख्या 976/862 तादादी 0.2529 है0 में दर्ज निम्न खातेदारों के नाम उनके सम्मुख अंकित नाम अनुसार दर्ज किये जाये।

क्रमांक	राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान नाम	शुद्ध नाम जो रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है।
1	पप्पड़ी	**पप्पुड़ी**
2	बिदामी	**बीदामी**
3	डुगर राम	**डुंगरराम**

निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़